# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 15/2017

**अपीलान्ट**

धर्माराम पुत्र पूनाराम जाति पटेल, निवासी–गांव खेड़ा सरेंचा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

*ब ना म*

**रेस्पोडेन्ट**

1. हड़मानराम पुत्र श्री अनाराम जाति कुम्हार निवासी–गांव खेड़ा सरेंचा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का सरेंचा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक–08.06.2015 को तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसको निरस्त करवाने बाबत्।**

**उपस्थितिः–**

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शंकर सिंह गहलोत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित।

## आदेश

**दिनांकः09.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 08.06.2015 ग्राम खेड़ा सरेंचा का जो तहसीलदार,(भू0अ0) लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया है के प्रस्तुत की गयी है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं 563 रकबा 03.07 बीघा ग्राम खेड़ा सरेंचा तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक हड़मानराम ने राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष पेश किया। जिसका निर्णय 30.04.2014 को आदेश पारित किया। उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट को दो पुत्र मदनराम व पदमाराम की रहवासीय ढाणिया कई वर्षो से बनी हुई है। लेकिन मौका जॉच रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया। गलत तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने कानून के विपरित जाकर आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने गलत आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्व अपीलान्ट ने रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो आज भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्व अपील व कानूनी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में आज भी विचाराधीन होने की

भली भांति जानकारी हेतु हुए भी उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने दिनांक 30.04.2014 को आदेश पारित कर दिया। इसके व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अभिभाषक श्री भागीरथ बिश्नोई ने अपना नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 08.06.2015 का तहसीलदार लूणी का तहसीलदार, लूणी से प्राप्त किया। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 05.07.2017 को सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खेड़ा सरेंचा में खसरा नं 563 रकबा 3.07 बीघा भूमि धर्माराम पुत्र पूनाराम पटेल के नाम से खातेदारी भूमि का नामान्तकरण भरा हुआ है लेकिन उपखण्ड अधिकारी लूणी ने तहसीलदार लूणी व पटवारी हल्का सरेचा की गलत रिपोर्ट के आधार पर व गैर कानूनी कार्यवाही के आधार पर दिनांक 30.04.2014 को गलत आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 3.07 बीघा में अपीलान्ट व अपीलान्ट के दो पुत्र मदनाराम व पदमाराम की रहवासीय ढाणिया कई वर्षो से बनी हुई है, तहसीलदार, लूणी व हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट व उनके पुत्रों की रहवासीय ढाणियों का उल्लेख तक नहीं किया और गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना आस–पास की साक्ष्य लिये बिना ही गलत रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने दिनांक 30.04.2014 को विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया जो अवैध है। उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्व उसी समय रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 73/2014 पेश कर दिया था जो आज भी विचाराधीन है और तहसीलदार ने बिना जॉच पड़ताल के विवादित नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 08.06.2015 को स्वीकृत कर दिया जो नैसंगिक सिद्वान्तों के विरूद्व है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अन्त में अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना नहीं दी और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया जो कानूनन आवश्यक था। तहसीलदार, लूणी ने धारा 131 से 135 भू–राजस्व अधिनियम की पालना की तथा मौके पर भूमि के कब्जे बाबत् किसी प्रकार की जॉच नहीं की। अपीलाधीन स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त करने योग्य होना बताया।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक हड़मानराम ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खेड़ा सरेंचा का जो नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 08.06.2015 को तहसीलदार लूणी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के प्रकरण संख्या 42/2013 निर्णय दिनांक 30.04.2014 की पालना में स्वीकृत किया गया है और रेस्पोडेन्ट ने उस समय प्रचलित स्टाम्प डुयूटी अनुसार राशि भी राजकोष में जमा करवा दी है। इस रास्ते की भूमि बाबत् सिविल न्यायालय में वाद चला इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपीलान्ट धर्माराम ने दिवानी निगरानी संख्या 07/2014 भी पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 12.08.2014 को हुआ। निर्णय अनुसार उक्त निगरानी भी खारिज कर दी गयी। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम खेड़ा सरेंचा के नामान्तकरण संख्या 70 जो तहसीलदार (भू0अ0) लूणी द्वारा दिनांक 08.06.2015 को स्वीकृत किया गया है के विरूद्व पेश किया है। इस नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में यह अंकन किया गया है कि ''श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के प्रकरण संख्या 42/2013 निर्णय दिनांक 30.04.2014 की पालना में ''पटवारी हल्का ने भरा व तहसीलदार (भू.अ.) लूणी ने दिनांक 08.06.2015 को स्वीकृत किया।

इस प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के निर्णय दिनांक 30.04.2014 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में की गई जो आज भी विचाराधीन होना बताया गया है। राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा जो भी निर्णय होगा दोनों पक्षों पर लागू होगा।

अतः मेरे मतानुसार ग्राम खेड़ा सरेंचा का नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 08.06.2015 जो तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट एतद्व खारिज की जाती है।

**(छगन लाल गोयल)**
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(छगन लाल गोयल)**
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर